(333)

संख्या–1241/XLI-1/2011-127/11

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय
देहरादून ।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांकः 23 :दिसम्बर, 2011

विषयः– सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–10227/यू0टी0यू0/2011, दिनांक 18.11.2011 एवं निदेशक, सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–बी0टीकेआईटी/सी0प्रौ0सं0/09/2011, दिनांक 16.11.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1188/XLI-1/2011–81/10, दिनांक 04.11.2011 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के संघठक महाविद्यालय "सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़" की अवस्थापना सुविधाओं यथा–प्रयोगशाला उपकरण, कार्यशाला उपकरण, कार्यालय/अन्य उपकरण, पाठ्य पुस्तकों, फर्नीचर, वाहन आदि के क्रय हेतु आयोजनागत पक्ष में रूपये–1,00,00,000/– (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तो के अधीन स्वीकृत करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा मैचिंग शेयर उपलबध कराया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में मितव्ययता से सम्बन्धित समस्त आदेशों तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत संस्थान हेतु अनावर्तक व्ययों के लिये डी0पी0आर0 गठित कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। ताकि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राविधान सुनिश्चित किया जा सके।
4. प्रश्नगत संस्थान के अनावर्तक व्ययों हेतु आंकलित कुल धनराशि रू0 24.00 करोड़ (भवन निर्माण हेतु रू0 20.00 करोड़ व उपकरण, फर्नीचर के लिये रू0 4.00 करोड़) के सापेक्ष राज्य सरकार की देयता 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक किसी भी दशा में देय नहीं होगी।
5. प्रश्नगत संस्थान हेतु समस्त उपकरण, फर्नीचर, पाठ्य पुस्तक, वाहन आदि का क्रय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित प्राविधानों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
6. प्रश्नगत संस्थान हेतु वाहन क्रय करते समय स्कार्पियो की जगह सस्ते/बहुउपयोगी वाहन का क्रय सुनिश्चित किया जाय। बस का क्रय यथा समय यथा आवश्यकता ही किया जाय।

क्रमशः 2

2– विश्वविद्यालय को इस अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी देहरादून द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक, दिनांक की सूचना शासन को तत्काल भेजी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–00–आयोजनागत–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–00–08–तकनीकी विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–324(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनॉक 15.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
4– निदेशक, सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
8– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।